दै. स्वदेश, भोपाल
9 SEP 2010

मप्र सरकार का सराहनीय कदम

अब इस कानून का पालन भी सुनिश्चित करें

मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने जब लोकसेवा गारंटी विधेयक पर अमल की दिशा में अहम फैसला करते हुए नौ विभागों की 25 सेवाएं प्रदाय करने के लिए समय सीमा तय कर दी, तो यह फैसला साधारण नहीं कहा जा सकता है। प्रशासनिक अमले को चुस्त करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। अगर जनता जागरूक होकर सामने आए, तो इस कानून से काफी लाभ उठाए जा सकते हैं। सारा कुछ ठीक चला तो जनता को इसके साफ और अनुकूल परिणाम नजर आएंगें। सरकारी अमले की लेटलतीफी और फाइलों की चाल के बारे में तमाम किस्से कहे जाते हैं ,किंतु इस तरह के प्रशासनिक सुधार से जुड़े फैसले जहां जवाबदेही को बढ़ाएंगें, वहीं लापरवाही पर अधिकारियों व कर्मचारियों को उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। प्रथम दृष्ट्या तो यह व्यवस्था बहुत आकर्षक और जनहितकारी दिख रही है, अब जिम्मेदारी है- इसके ईमानदार क्रियान्वयन की। इस व्यवस्था के तहत इसमें निश्चित समयावधि के बाद संबंधित अधिकारी के वेतन से राशि काटकर आवेदक को देने का प्रावधान है। सिटीजन चार्टर के मुताबिक सेवाएं नहीं मिलने पर नागरिक प्रथम अपीलीय अधिकारी के यहां अपील कर सकेंगें। वहां निराकरण न होने पर द्वितीय अपीलीय अधिकारी के यहां जा सकते हैं और दोषी पाए जाने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी पर भी जुर्माना लगेगा जो वेतन से काटा जाएगा। मध्यप्रदेश की सरकार का यह फैसला सही मायने में एक ऐसा कदम है, जिसकी लंबे अरसे से प्रतीक्षा थी। सूचना के अधिकार कानून की भांति ही यह भी एक क्रांतिकारी फैसला है। इससे प्रशासन की जड़ता तो टूटेगी ही और काम को रोककर भ्रष्टाचार को पोषित कर रही मिशीनरी को भी झटका लगेगा। आज हालात यह हैं कि आम आदमी अपने जायज कामों के लिए भी आफिसों और बाबुओं के चक्कर लगाते थक जाता है, किंतु उसका काम बिना रिश्वत दिए नहीं हो पाता। ऐसे कानून कुछ दबाव बनाने का काम करेंगें। सरकारी नौकरशाही की जो रूढ़ हो चुकी आदतें हैं, उन पर भी लगाम लगाने का काम करेंगें। बेहतर होगा कि इस व्यवस्था को लागू करने के कुछ दिनों के बाद इसकी समीक्षा की जाए और इसमें हो रहे गतिरोध को समाप्त किया जाए। ऐसे क्रांतिकारी कानूनों का अनुपालन एक वातावरण बनने पर ही संभव है, ऐसे में इसकी मानिटरिंग भी बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी नौकरशाही हर तरह के कानून की अपने हिसाब से व्याख्या करके उसका अनुकूलन कर लेती है। इसलिए राज्य सरकार अगर अपनी मंशा को सफल होते देखना चाहती है, तो उसे इसपर ध्यान देना होगा कि उसका अमला इस विधेयक की मंशाओं को विफल करने के लिए क्या तोड़ निकालता है। सो इसका भी वही हाल न हो जो तमाम कानूनों का होता आया है। इसके साथ ही देर-सबेर उच्चअधिकारियों को भी इस दायरे में लाने की जरूरत है क्योंकि जवाबदेही तो सबकी बराबर होनी चाहिए, चाहे उसकी कुर्सी कितनी भी उंची क्यों न हो।